



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03022022-233088
CG-DL-E-03022022-233088

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 415]
No. 415]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 2, 2022/माघ 13, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 2, 2022/MAGHA 13, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2022

का० आ० 430(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गयी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 4597(अ), तारीख 15 दिसम्बर 2020, जो भारत के राजपत्र संख्या 4036 भाग II, खण्ड (3), उप-खण्ड (ii) तारीख 18 दिसम्बर 2020, में प्रकाशित की गयी थी द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में गुजरात राज्य में कंडला से गोरखपुर तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिये आइ.एच.बी. लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रायोजन के लिये उपयोग के अधिकार के अर्जन करने के लिए अपने आषय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गयी थी । और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ।

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिये अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम, की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद् द्वारा घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइप लाइन बिछाने के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाये;

और केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम, की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय, सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर आइ.एच.बी. लिमिटेड में निहित होगी ।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिये आइ. एच.बी. लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी ।

अनुसूची

तालुका : कलोल		जिला : गांधीनगर	राज्य : गुजरात		
क्रम सं.	गांव का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
1	पानसर	555	00	13	96
		554	00	03	79
		553	00	03	63
	610 पक्का रास्ता		00	01	67
		550	00	04	40
		551	00	09	88
		548	00	12	68
		549	00	18	56
		541	00	12	28
	540 (कच्चा रास्ता)		00	02	42
		619	00	00	20
		620	00	02	83
		621	00	04	20
		622	00	05	16
		623	00	07	12
		624	00	04	37
		625	00	08	18
		629	00	04	94
		628	00	06	22
		627	00	06	89

		638	00	02	16
		639	00	37	96
		कच्चा रास्ता	00	00	71
		649	00	16	34
		650 पक्का रास्ता	00	01	95
		393	00	05	33
		394	00	09	73
		651 कच्चा रास्ता	00	01	10
		652	00	09	34
		653	00	13	83
		654	00	12	99
		662	00	01	05
		660 कच्चा रास्ता	00	00	68
		656	00	10	80
2	डींगुचा	759	00	17	57
		760	00	00	20
		758	00	04	63
		761	00	13	03
		762	00	03	37
		763	00	01	31
		764	00	03	56
		765	00	00	20
		750	00	00	72
		कच्चा रास्ता	00	01	13
		748	00	08	03
		737	00	05	20
		738	00	17	17
		735 (कच्चा रास्ता)	00	00	79
		634 / 1	00	15	50
		631	00	04	28
		632	00	06	48
		639	00	09	59
		640	00	01	62

641	00	13	03
642	00	00	20
663	00	04	88
662	00	00	75
644	00	04	78
645	00	06	20
646	00	00	43
647	00	01	73
650	00	14	13
653	00	00	20
652	00	04	77
1062 (पक्का रास्ता)	00	01	82
1063	00	00	57
1064	00	01	96
1067	00	05	88
538 (कच्चा रास्ता)	00	01	06
549	00	04	92
546	00	05	54
548	00	14	78
508	00	07	20
507	00	07	11
506	00	01	53
497	00	02	91
500	00	05	31
501	00	18	48
502 कच्चा रास्ता	00	00	86
167	00	01	63
168	00	17	95
166	00	01	27
177	00	07	77
178	00	08	04
179	00	08	49

		182	00	04	08
		184	00	06	91
		242 पक्का रास्ता	00	01	05
		384	00	07	25
		371 कच्चा रास्ता	00	00	51
		254	00	08	46
		252	00	02	05
		255	00	05	09
		263	00	22	31
		264	00	16	15
		265	00	07	74
		274	00	06	33
		266	00	25	76
3	मोखासण	226	00	05	94
		225	00	08	31
		223 कच्चा रास्ता	00	00	77
		224	00	00	53
		222	00	04	47
		221	00	05	24
		220	00	05	67
		163	00	28	18
		कच्चा रास्ता	00	00	56
		165	00	13	19
		164	00	00	49
		166	00	05	66
		167	00	10	97
		168	00	00	27
4	भादोल	428 (पक्का रास्ता)	00	00	80
		431	00	23	33
		430	00	00	34
		442	00	14	05
		443	00	14	21

465	00	05	49
13 पक्का रास्ता	00	01	07
35	00	08	28
34	00	04	90
33	00	12	02
27	00	06	54
28	00	02	73
29	00	07	92
कच्चा रास्ता	00	00	59
84	00	01	78
85	00	08	07
88	00	11	24
90	00	06	17
91	00	00	20
103 अनलाइन्ड केनाल पक्का रास्ता	00	03	47
92	00	00	20
94	00	22	21
95	00	05	03
98	00	05	68
97	00	11	78

[फा. सं. आर-11025(15)/11/2019-ओआर-1/(ई-32563)]

पी.सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January, 2022

S.O. 430(E).—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, published in the Gazette of India vide Gazette No. 4036 PART II—Section 3—Sub-section (ii) dated 18th December, 2020, S.O.No. 4597(E) dated 15th December, 2020 issued under sub section (i) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline from Kandla to Gorakhpur in the State of Gujarat by IHB Limited for the transportation of Petroleum Products:

And whereas copies of said Gazette Notification were made available to the public; and whereas the competent authority has under sub-section (1) of section 6 of the said act, has submitted report to the Central Government.

And whereas, the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline has decided to acquire right of user therein.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration in IHB Limited, free from all encumbrances.

IHB Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim of legal proceedings would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

Taluka: - Kalol District: - Gandhinagar			State: - Gujarat		
Sl. No.	Name of the Village	Khasara No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
1	Pansar	555	00	13	96
		554	00	03	79
		553	00	03	63
	610 Asp Road		00	01	67
		550	00	04	40
		551	00	09	88
		548	00	12	68
		549	00	18	56
		541	00	12	28
	540 (Cart track)		00	02	42
		619	00	00	20
		620	00	02	83
		621	00	04	20
		622	00	05	16
		623	00	07	12
		624	00	04	37
		625	00	08	18

		629	00	04	94
		628	00	06	22
		627	00	06	89
		638	00	02	16
		639	00	37	96
		Cart track	00	00	71
		649	00	16	34
		650 Asp. Road	00	01	95
		393	00	05	33
		394	00	09	73
		651 CART TRACK	00	01	10
		652	00	09	34
		653	00	13	83
		654	00	12	99
		662	00	01	05
		660 CART TRACK	00	00	68
		656	00	10	80
2	Dingucha	759	00	17	57
		760	00	00	20
		758	00	04	63
		761	00	13	03
		762	00	03	37
		763	00	01	31
		764	00	03	56
		765	00	00	20
		750	00	00	72
		Cart track	00	01	13
		748	00	08	03
		737	00	05	20
		738	00	17	17
		735 (Cart track)	00	00	79
		634/1	00	15	50

631	00	04	28
632	00	06	48
639	00	09	59
640	00	01	62
641	00	13	03
642	00	00	20
663	00	04	88
662	00	00	75
644	00	04	78
645	00	06	20
646	00	00	43
647	00	01	73
650	00	14	13
653	00	00	20
652	00	04	77
1062 (Asp Road)	00	01	82
1063	00	00	57
1064	00	01	96
1067	00	05	88
538 (Cart Track)	00	01	06
549	00	04	92
546	00	05	54
548	00	14	78
508	00	07	20
507	00	07	11
506	00	01	53
497	00	02	91
500	00	05	31
501	00	18	48
502 Cart Track	00	00	86
167	00	01	63
168	00	17	95

		166	00	01	27
		177	00	07	77
		178	00	08	04
		179	00	08	49
		182	00	04	08
		184	00	06	91
		242 Asp. Road	00	01	05
		384	00	07	25
		371 Cart Track	00	00	51
		254	00	08	46
		252	00	02	05
		255	00	05	09
		263	00	22	31
		264	00	16	15
		265	00	07	74
		274	00	06	33
		266	00	25	76
3	Mokhasan	226	00	05	94
		225	00	08	31
		223 Cart track	00	00	77
		224	00	00	53
		222	00	04	47
		221	00	05	24
		220	00	05	67
		163	00	28	18
		Cart track	00	00	56
		165	00	13	19
		164	00	00	49
		166	00	05	66
		167	00	10	97
		168	00	00	27
4	Bhadol	428 (Asp Road)	00	00	80

431	00	23	33
430	00	00	34
442	00	14	05
443	00	14	21
465	00	05	49
13 Asp Road	00	01	07
35	00	08	28
34	00	04	90
33	00	12	02
27	00	06	54
28	00	02	73
29	00	07	92
Cart Track	00	00	59
84	00	01	78
85	00	08	07
88	00	11	24
90	00	06	17
91	00	00	20
103 U/C Asp Road	00	03	47
92	00	00	20
94	00	22	21
95	00	05	03
98	00	05	68
97	00	11	78

[F No. R-11025(15)/11/2019-OR-1/E-32563]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.